भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3685

जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड

†3685. श्री थरानिवेंथन एम. एस.

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से अब तक जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की वर्ष-वार और विशेषकर तमिलनाडु सहित राज्य-वार की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदार किसानों और महिला किसानों की केसीसी तक आसान पहुंच हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केसीसी के लिए अस्वीकृत या लंबित आवेदनों की राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु में संख्या कितनी है और उन्हे अस्वीकार करने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केसीसी के दायरे का विस्तार कर इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और रेशम उत्पादन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तमिलनाडु में इसके कार्यान्वयन की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केसीसी योजना के तहत संवितरण में देरी को कम करने, उचित ब्याज दरें सुनिश्चित करने और छोटे किसानों पर ऋण के बोझ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग) वर्ष 2014 से कुल सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों का वर्षवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 से, सक्रिय किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या का वर्षवार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा, तमिलनाडु राज्य सहित, अनुबंध-II में दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों, काश्तकार किसानों और महिला किसानों द्वारा केसीसी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की विस्तृत पहलों का व्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है। अस्वीकृत केसीसी आवेदनों का आंकड़ा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) फरवरी 2019 से, केसीसी योजना का विस्तार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) की कार्यशील पूंजी आवश्यकता को कवर करने के लिए भी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.12.2025 तक देश भर में सक्रिय केसीसी-एएचडीएफ खातों की कुल संख्या 42,65,030 थी और कुल बकाया राशि 53,119 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, दिनांक 31.12.2025 तक, तमिलनाडु राज्य में सक्रिय केसीसी-एएचडीएफ खातों की कुल संख्या 6,48,241 थी और उन पर बकाया कुल राशि 7,548 करोड़ रुपये थी।

(ड़) भारत सरकार की संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें बैंकों को 1.5% ब्याज सब्सिडी मिलती है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उनकी ब्याज दर घटकर मात्र 4% रह जाती है। इसके अलावा, सरकार ने केसीसी ऋणों के वितरण में दक्षता सुधारने और केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत उपलब्ध ब्याज सब्सिडी और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के प्रशासन में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) सितंबर 2023 में आरंभ किया गया था, जो आधार-आधारित लाभार्थी सत्यापन और केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत तेजी से डिजिटल दावा निपटान को सक्षम बनाता है।
- जन समर्थ पोर्टल को सरकारी ऋण और सब्सिडी योजनाओं को जोड़ने के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया है। यह ऋण के लिए आवेदन करने और आवेदक के डेटा के डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृति प्राप्त करने का एक त्वरित और कुशल तरीका प्रदान करता है।

अनुबंध-I

"तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड" के संबंध में दिनांक 16.03.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3685 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014 से अब तक कुल सक्रिय केसीसी खातों का वर्षवार व्यौरा।

(वास्तविक खातों की संख्या)

वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक	सक्रिय केसीसी खातों की संख्या
2013-14	7,00,62,527
2014-15	7,36,00,059
2015-16	7,52,70,009
2016-17	7,15,22,312
2017-18	6,92,09,336
2018-19	6,62,99,599
2019-20	6,52,80,254
2020-21	7,37,45,010
2021-22	7,14,90,107
2022-23	7,34,69,021
2023-24	7,75,04,234
2024-25	7,72,10,538
2025-26*	7,54,82,009

स्रोत: आरबीआई और नाबार्ड

***:** 31 दिसंबर 2025 तक के अनंतिम आंकड़े

अनुबंध -II

"तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड" के संबंध में दिनांक 16.03.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3685 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर अब तक के सक्रिय केसीसी खातों की संख्या का वर्षवार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार व्यौरा।

(वास्तविक खातों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7,868	9,389	9,056	8,324	8,368	8,980
2	आंध्र प्रदेश	46,05,047	45,69,808	45,51,558	48,53,487	47,33,502	46,50,958
3	अरुणाचल प्रदेश	8,601	9,880	10,100	18,388	22,484	23,713
4	असम	7,36,919	6,58,281	6,46,919	6,70,832	5,53,146	4,98,108
5	बिहार	27,71,102	26,56,796	25,76,527	28,80,585	28,20,890	22,59,036
6	चंडीगढ़	70,857	1,393	1,475	1,582	1,010	739
7	छत्तीसगढ	17,66,266	17,82,290	19,17,435	21,45,836	19,08,855	19,73,475
8	डीएनएचडीडी	489	1,417	1,581	1,543	1,447	1,202
9	गोवा	14,015	8,347	9,458	11,649	11,903	9,540
10	गुजरात	28,92,516	28,78,852	30,18,544	31,37,242	32,24,658	32,56,598
11	हरियाणा	22,63,947	22,53,483	22,86,953	23,61,829	24,00,489	23,51,039
12	हिमाचल प्रदेश	3,92,245	4,23,843	4,60,441	5,02,861	5,10,282	5,24,328
13	जम्मू और कश्मीर	10,08,862	9,33,555	9,10,514	10,66,887	11,13,136	11,16,132
14	झारखंड	9,25,401	9,21,919	9,67,591	9,95,531	9,68,619	9,16,330
15	कर्नाटक	48,23,251	47,35,000	47,21,067	54,98,818	53,76,105	57,81,201
16	केरल	18,62,579	19,29,232	25,94,466	26,58,063	24,11,756	22,76,340
17	लद्दाख	5,818	1,89,654	28,072	28,228	28,134	28,041
18	लक्षद्वीप	331	24,685	1,770	2,555	3,110	3,375
19	मध्य प्रदेश	62,74,836	60,68,304	62,68,740	65,00,382	65,17,376	64,17,424
20	महाराष्ट्र	68,67,895	69,10,764	71,77,298	72,17,854	70,31,265	68,05,090
21	मणिपुर	18,464	17,806	19,693	19,699	18,309	17,917
22	मेघालय	61,618	66,190	71,677	77,422	85,889	91,643
23	मिजोरम	24,442	27,182	35,093	51,561	42,682	37,367
24	नागालैंड	27,531	26,259	30,070	32,072	36,510	40,167
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3,974	3,188	2,861	2,761	2,614	2,147
26	ओडिशा	43,37,869	39,98,082	39,71,032	44,65,567	42,79,001	42,07,594
27	पुदुचेरी	17,015	17,797	13,413	20,366	19,361	13,744
28	पंजाब	22,44,289	21,67,026	21,98,101	22,34,658	21,67,523	21,31,833
29	राजस्थान	66,15,298	62,29,619	65,40,646	68,45,762	71,27,313	71,36,374
30	सिक्किम	7,043	6,555	8,702	10,115	10,995	9,957
31	तमिलनाडु	29,73,041	30,53,109	35,80,708	40,31,906	40,38,150	37,72,068
32	तेलंगाना	42,59,731	42,71,628	43,37,476	45,08,942	45,76,239	47,44,737
33	त्रिपुरा	2,56,385	2,46,320	1,55,042	1,64,916	1,71,181	1,64,213
34	उत्तर प्रदेश	64,87,677	1,05,32,039	1,07,05,196	1,09,17,055	1,09,56,279	1,04,45,486
35	उत्तराखंड	53,99,542	5,46,806	5,08,644	5,54,157	5,11,706	5,02,984
36	पश्चिम बंगाल	37,12,246	33,13,609	31,32,363	30,04,799	35,20,251	32,62,129
कुल		**7,37,45,010**	**7,14,90,107**	**7,34,70,282**	**7,75,04,234**	**7,72,10,538**	**7,54,82,009**

स्रोत: आरबीआई और नाबार्ड

*: 31 दिसंबर 2025 तक के अनंतिम आंकड़े

अनुबंध -III

"तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड" के संबंध में दिनांक 16.03.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3685 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

छोटे और सीमांत किसानों, काश्तकार किसानों और महिला किसानों को केसीसी (केसीसी) तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का व्यौरा इस प्रकार है:

- केसीसी के माध्यम से किसानों (स्वयं मालिक कृषक व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता), काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों, स्वयं सहायता समूहों या किसानों के संयुक्त देयता समूहों, जिनमें काश्तकार किसान और बटाईदार आदि शामिल हैं, को पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाती है।
- आरबीआई द्वारा जारी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के ऋण समतुल्य (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, का कम से कम 18% कृषि क्षेत्र को आवंटित करना अनिवार्य है, जिसमें से लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए 10 प्रतिशत का उप-लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा, इसमें उन जिलों के लिए प्रोत्साहन फ्रेमवर्क भी निर्धारित किया गया है जहां प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्रों (जिसमें कृषि और लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण भी शामिल है) को ऋण का प्रवाह अपेक्षाकृत कम है, और उन जिलों जहां प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक के लिए हतोत्साहन फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है।
- किसानों द्वारा मजबूरी में अपनी उपज बेचने से रोकने और उन्हें गोदामों में अपनी उपज का भंडारण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, केसीसी के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को फसल की कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए उपलब्ध है। यह सब्सिडी वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त गोदामों में संग्रहीत उपज पर परक्राम्य गोदाम रसीदों के बदले फसल ऋण पर लागू दर के समान दर पर दी जाती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबी) ने संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित, बिना संपार्श्विक के अल्पकालिक कृषि ऋणों की सीमा को 1 जनवरी 2025 से प्रति उधारकर्ता 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये कर दिया है। इस कदम से ऋण तक पहुंच में वृद्धि होती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (क्षेत्र के 86% से अधिक) के लिए, जिन्हें उधार लेने की लागत में कमी और संपार्श्विक आवश्यकताओं को हटाने से लाभ होता है।
- किसानों को केसीसी योजना के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए, केंद्र/राज्य सरकारें, आरबीआई, नाबार्ड और बैंक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाते हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने के लिए केसीसी संतृप्ति अभियान शुरू किया है। इसके अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) में कार्यरत सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लाभों का विस्तार करने के लिए देशव्यापी जिला स्तरीय साप्ताहिक शिविरों का भी आयोजन किया गया।